



2026:AHC:LKO2325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट सी संख्या - 12619/2025

सुजीत कुमार

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, कलेक्टर, जिला गोंडा के माध्यम से, और 4 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : फैज़ अहमद खान, नितिन श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विपक्षी पक्ष संख्या 1 से 4 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राम कुमार मौर्य, और विपक्षी पक्ष संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ तिवारी की दलीलें सुनी गईं।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने उपायुक्त (खाद्य), देवीपाटन मंडल, गोंडा द्वारा दिनांक 31.07.2025 को पारित एक आदेश की वैधता को चुनौती दी है। यह आदेश, 'उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तुएं' (बिक्री और वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016' के पैरा 13(3) के तहत दायर मामले संख्या 839/2024 में पारित किया गया था।

3. यह अपील विपक्षी पक्ष संख्या 5 द्वारा, उप-जिलाधिकारी मनकापुर, गोंडा द्वारा दिनांक 12.03.2024 को पारित एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी। उक्त आदेश में, विपक्षी पक्ष संख्या 5 द्वारा ग्राम बैरीपुर रामनाथ, विकास खंड एवं तहसील मनकापुर, जिला गोंडा में एक उचित मूल्य की दुकान के आवंटन हेतु 'अनुकंपा के आधार' पर दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। यह आवेदन विपक्षी पक्ष संख्या 5 के पिता भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी की मृत्यु के उपरांत दायर किया गया था; भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी उक्त उचित मूल्य की दुकान के स्वामी थे और उनका निधन 22.12.2023 को हुआ था। विपक्षी पक्ष संख्या 5 का आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उन्हें अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन हेतु पात्र नहीं पाया गया। इसका कारण यह था कि वे एक आपराधिक मामले (मुकदमा अपराध संख्या 10/2024) में आरोपी थे, जो पुलिस थाना रेहरा बाजार में श्री छैल बिहारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत दर्ज कराया गया था; और परिणामस्वरूप, वे अपना 'चरित्र प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे थे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अपील में, अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) ने 12.03.2024 के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने यह माना कि जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी उस व्यक्ति का पता नहीं लगा सके और ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला किसी फ़र्जी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया था। तदनुसार, जाँच अधिकारी ने 12.02.2024 को एक क्लोज़र रिपोर्ट (मामला बंद करने की रिपोर्ट) प्रस्तुत की, जिसे विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीज़न) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरौला, बलरामपुर ने 15.02.2025 के एक आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया। इस आदेश में यह दर्ज है कि शिकायतकर्ता ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद, अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध कोई विरोध याचिका दायर नहीं की है।

5. अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) ने यह माना कि जब विपक्षी पक्ष संख्या

5 ने 15.01.2024 को अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, तो 17.01.2024 को किसी फ़र्जी व्यक्ति द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप बाद में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह संभव है कि ऐसा किसी साज़िश के तहत, विपक्षी पक्ष संख्या 5 को उचित मूल्य की दुकान के आवंटन से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया हो। इन परिस्थितियों में, विपक्षी पक्ष संख्या 5 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना उचित है। तदनुसार, अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) ने अपील स्वीकार कर ली, उप खण्ड अधिकारी, मनकापुर द्वारा पारित 12.03.2024 के आदेश को रद्द कर दिया, और मामले को उप खण्ड अधिकारी के पास वापस भेज दिया ताकि वे दो महीने की अवधि के भीतर इस पर नए सिरे से निर्णय ले सकें।

6. 31.07.2025 के विवादित आदेश द्वारा मामले को वापस भेजे जाने के बाद, विचाराधीन उचित मूल्य की दुकान का आवंटन 11.12.2025 के एक आदेश के माध्यम से विपक्षी पक्ष संख्या 5 के पक्ष में कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

7. विपक्षी पक्षों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलीय आदेश 31.07.2025 को पारित किया गया था और 18.12.2025 को अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका में, रिट याचिका दायर करने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपर्युक्त प्रस्तुति का उत्तर देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील उस आपत्ति के विरोध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके कि याचिका में विलंब का दोष है।

9. याचिकाकर्ता के वकील इस बात के विरोध में कोई दलील नहीं दे सके कि याचिका में लापरवाही है।

10. उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (बिक्री और वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 का पैरा 13(3) यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है - चाहे वह उचित मूल्य की दुकान के मालिक के साथ समझौते के नवीनीकरण, या समझौते के निलंबन या रद्दीकरण से संबंधित हो - वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यह पैराग्राफ उस व्यक्ति द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान करता है, जिसके उचित मूल्य की दुकान के समझौते के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. जब विपक्षी पक्ष संख्या 3 द्वारा उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया - उसके पिता की मृत्यु के बाद, जो स्वयं एक उचित मूल्य की दुकान के मालिक थे - [उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (बिक्री और वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के पैरा 13(3) के तहत] समझौते के निलंबन या रद्द होने पर, अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है। यह पैराग्राफ उस व्यक्ति द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान करता है, जिसके उचित मूल्य की दुकान के समझौते को जारी करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।

12. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 31.07.2025 का विवादित अपीलीय आदेश अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया है। यह न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं पाता है, जिसे याचिका के स्वीकार करने के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

12 जनवरी, 2026

अमित के.

(सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"